कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक— 1655 /12—1 :देहरादून: दिनांक: 17 फरवरी, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25—सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला के अन्तर्गत रानगांव से नाहीकला तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.03 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. FP/UK/ ROAD/37612/2018)

सन्दर्भ:— उप महानिरीक्षक वन (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक— 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 88 / 2020 / एफ0सी0 / 1201, दिनांक 20.03.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि उप महानिरीक्षक वन (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय का पत्रांक— 08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 88 / 2020 / एफ0सी0 / 1201, दिनांक 20.03.2023.के द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र 1530 / 12—1 दिनांक 23.01.2024 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:—

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1.	KML file and maps of the proposed road are required to be revised and uploaded.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की संशोधित के0एम0एल0 फाईल एवं मानचित्र ऑनलाईन भाग—। में यथा स्थान अपलोड कर दिये गये हैं। संबंधित मानचित्र ऑनलाईन भाग—।। में अतिरिक्त सूचना के रूप में भी अपलोड कर दिये गये हैं।
2.	KML file maps, CA scheme and CA site suitability certificate of revised CA area are required to be uploaded.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा के0एम0एल फाईल मैप, क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र अतिरिक्त सूचना के रूप में ऑनलाईन भाग—।। में अपलोड कर दिये गये हैं।
3.	Revised NPV calculation sheet, land schedule, tree enumeration list etc. required to be uploaded in part II (additional information documents)	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित एन0पी0वी0, लैण्ड शैड्युल, वृक्ष गणना सूची आदि ऑनलाईन भाग—।। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है।
4	Revised tree details are mentioned in Part II para 4 but it also includes trees in non-forest land. State Govt. shall upload details of trees in forest area only i.e. 230 trees.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आरक्षित वन भूमि में बाधिक होने वाले वृक्षों की संशोधित संख्या—51 तथा ग्राम समाज की भूमि में बाधित होने वाले वृक्षों की संख्या—179 230 है। वांछित सूचना ऑनलाईन भाग—।। में अतिरिक्त सूचना के रूप में अपलोड कर दी गई है।
5	Area correction is required to be done in para 1, 2, 3 & 4 in Part II.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भाग—।। के बिन्दु सं0—1,2,3 एवं 4 में हस्तान्तरित वन भूमि का क्षेत्रफल 2.03 हे0 ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः वन सरंक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :– /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।